जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 171 प्रभात बीकानेर, शनिवार 11 जनवरी, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

वेणुगोपाल हरियाणा में नई जाट ''लीडरशिप'' पनपाना चाहते हैं

भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की जगह रणदीप सिंह सुरजेवाला को प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त कर, इस पीढ़ी परिवर्तन की शुरुआत करना चाहते हैं

- स्वाभाविक ही है, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, इस पीढ़ी परिवर्तन के खिलाफ हैं और कांग्रेस के 37 विधायकों में से तीस पर हुड्डा का नियंत्रण है और यह ही स्थिति लोकसभा सदस्यों की है। हरियाणा के पाँच सांसदों में से चार हुड्डा कैम्प के हैं और इस कारण वेणुगोपाल की पीढ़ी परिवर्तन की योजना आसानी से क्रियान्वित होती नज़र नहीं आ रही है।
- पर, वेणुगोपाल भी हार नहीं मान रहे हैं तथा सुरजेवाला को हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष बनाने के प्रयास उन्होंने छोड़े नहीं हैं।
- पीढ़ी परिवर्तन के अलावा वे सुरजेवाला को कर्नाटक से हरियाणा इसलिए भी लाना चाहते हैं कि कर्नाटक एक धनाढ्य प्रदेश है, सुरजेवाला को वहाँ से हटाकर, वे अपने आदमी को कर्नाटक में प्रभारी नियुक्त करना चाहते हैं। जैसा कि विदित ही है, सुरजेवाला कर्नाटक के प्रभारी हैं।
- हुड्डा ने भी परोक्ष रूप से धमकी दे रखी है कि उन पर ज्यादा दबाव डाला गया, हरियाणा का प्रदेशाध्यक्ष का पद छोड़ने के लिये, तो वे पार्टी में विभाजन करा देंगे।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। हरियाणा कांग्रेस टकराव की ओर बढ़ रही है। पुराने जाट नेतृत्व की जगह नया नेतृत्व लाने की लड़ाई शुरु हो गई है। राज्य में हाल ही में हुये विधानसभा चुनावों में जीतकर आये 37 विधायकों में से 30 विधायक हरियाणा के सी.एल.पी. नेता भूपिन्दर सिंह हूडा के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही, पार्टी के 5 निर्वाचित लोकसभा सांसदों में से 4 सांसद हूडा के साथ हैं। इनमें हूडा के पुत्र दीपेन्द्र सिंह हूडा भी शामिल हैं।

समझा जाता है कि के.सी. वेणुगोपाल नये जाट नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला को पी.सी.सी. अध्यक्ष बनाना चाह रहे हैं। इसका अर्थ यह होगा कि सी.एल.पी. नेता का पद किसी गैर-जाट नेता को मिलेगा।

इस बदलाव के पीछे वेणुगोपाल के दो उद्देश्य हैं। पहली बात तो यह है कि वे हरियाणा में नया नेतृत्व चाहते हैं तथा दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वे उन्हें कर्नाटक से हटाना चाहते हैं, जो देश के सर्वाधिक सम्पन्न राज्यों में से एक है तथा उस पद पर वे अपने किसी खास व्यक्ति को लाना चाहते हैं।

सुरजेवाला ए.आई.सी.सी. महासचिव तथा कर्नाटक प्रभारी हैं।

हूडा, परिवर्तन की इस माँग पर विचार करने के राजी नहीं हैं।

सूत्रों का कहना है कि हूडा ने यह संकेत दे दिया है कि अगर उन पर ज्यादा दबाव डाला गया तो वे पार्टी तोड़ने पर विचार करेंगे। यही कारण है कि विधानसभा चुनावों के बाद, कांग्रेस हरियाणा में पार्टी पदाधिकारी तथा पी.सी.सी. अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर पाई है। ज्ञातव्य है कि कांग्रेस विधानसभा चुनावों में भाजपा से हार गई थी।

पुणे कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत दी

पुणे, 10 जनवरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के को बड़ी राहत मिली है। पुणे की विशेष अदालत ने वीर सावरकर पर दिए गए बयान के मामले में उन्हें जमानत दे दी है। राहुल गांधी पुणे की विशेष अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। वीर सावरकर के ग्रैंड

- राहुल गांधी ने, ब्रिटेन में सावरकर के हिंदुत्व पर जो बयान दिया था उस पर सावरकर के पोते ने उन पर मानहानि का केस लगाया था।

नेफ्यू ने साल 2023 में राहुल गांधी के खिलाफ सावरकर पर दिए एक बयान को लेकर मामला दर्ज कराया था। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में वीर सावरकर के हिंदुत्व को लेकर एक बयान दिया था। इस बयान में, उन्होने सावरकर के हिंदुत्व पर टिप्पणी की थी और कहा था कि के बारे में सावरकर ने किताब में भी लिखा है। लेकिन सावरकर के परिवार के मुताबिक, जो बात राहुल गांधी ने कही थी, गलत थी। इसके बाद सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सात्यकि सावरकर ने पुणे की एक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली भाजपा ने विरोध प्रदर्शन किया

भाजपा का कहना है कि केजरीवाल ने भाजपा पर फर्जी वोटर लाने का झूठा आरोप लगाया है

- प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल के आवास के पास लगे बैरिकेड्स तोड़ने की भी कोशिश की, पुलिस ने वॉटर कैनन से उन्हें रोका।
- केजरीवाल ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज की है कि 15 दिसम्बर से 8 जनवरी के बीच तेरह हजार नए वोटर जुड़े हैं। भाजपा यू.पी. और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रही है।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। भाजपा की दिल्ली इकाई ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि वह विधानसभा चुनावों से पहले कथित रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन से संबंधित झूठे दावे कर रही है।

विरोध प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों लोग आप प्रमुख केजरीवाल के खिलाफ नारों वाली तख्तियाँ लिये हुये थे। इनमें से कुछ लोग केजरीवाल के आवास के पास सुरक्षा बैरिकेडिंग का अतिक्रमण करने की कोशिश करते हुये दिखाई दिये।

प्रदर्शनकारियों को सुरक्षा व्यवस्था का अतिक्रमण करने से रोकने के लिये पुलिस ने वॉटर कैनन का प्रयोग किया।

चुनाव आयोग को की गई विधिवत् शिकायत में, केजरीवाल ने 15 दिसम्बर से 8 जनवरी के बीच 13,000 नये मतदाता के आवेदनों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

चुनाव आयोग में शिकायत करने के बाद, मीडिया को संबोधित करते हुये, केजरीवाल ने कहा, ''इनमें से बहुत सारे वोटर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य पड़ोसी राज्यों से लाये गये हैं, ताकि नकली वोटर रजिस्ट्रेशन किये जायें। यह गड़बड़ी चुनाव प्रक्रिया को क्षति पहुँचाने वाली है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा के लिये चुनाव 5 फरवरी को होगा तथा 8 फरवरी को मतगणना के बाद, परिणामों की घोषणा की जायेगी।

'गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं'

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट इन्टरव्यू में गुजरात कार्यकाल को याद करते हुए कहा

- प्रधानमंत्री ने जीरोधा के संस्थापक निखिल कामथ के साथ हुई बातचीत में अपने लम्बे राजनीतिक जीवन के अनुभव को भी साझा किया।
- प्रधानमंत्री ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील की और कहा कि वे इस मिशन के तौर पर लें।

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा, गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं। मोदी ने अपने पहले पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री के रूप में अपने अलग-अलग कार्यकाल के बारे में पूछे जाने पर, जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के साथ एक पॉडकास्ट में कहा, गलतियां होती हैं, मैं इंसान हूं, भगवान नहीं।

उन्होंने कहा, पहले कार्यकाल में, लोग मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। दूसरे कार्यकाल में, मैं अतीत के दृष्टिकोण से सोचता था। तीसरे कार्यकाल में, मेरी सोच बदल गयी है, मेरा मनोबल ऊंचा है और मेरे सपने बड़े हो गये हैं।

प्रधानमंत्री ने आज यह टिप्पणी कामथ की पॉडकास्ट श्रृंखला 'पीपल बाय डब्ल्यूटीएफ' में अतिथि के रूप में उपस्थित होने के दौरान की। जब उनसे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके पुराने भाषणों के बारे में पूछा गया, तो प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, मैंने कुछ असंवेदनशील तरीके से कहा था। गलतियां होती हैं। मैं इंसान हूं, भगवान नहीं।

पॉडकास्ट में मोदी ने युवा लोगों के राजनीति में आने की वकालत की, इस बात पर जोर दिया कि उन्हें महत्वाकांक्षा के साथ नहीं, बल्कि एक मिशन के साथ राजनीति में आना चाहिये।

उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका ध्यान सरकारी योजनाओं का जनता तक शत-प्रतिशत पहुंचना सुनिश्चित करने के लिये समाधान खोजने पर रहेगा। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, मैं 2047 तक विकसित भारत के लिये सभी समस्याओं का समाधान चाहता हूं। सरकारी योजनाओं की शत-प्रतिशत डिलीवरी होनी चाहिये। यही वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। इसके पीछे प्रेरक शक्ति एआई आकांक्षी भारत है।

सार्वजनिक जीवन की व्यापक चुनौतियों की चर्चा करते हुये मोदी ने स्वीकार किया कि असहमति हर क्षेत्र में आम है, चाहे वह परिवार हो, कार्यस्थल हो या राजनीति। उन्होंने सार्वजनिक सेवा में संवेदनशीलता के महत्व पर जोर देते हुये कहा कि सहानुभूति के बिना कोई वास्तव में दूसरों के कल्याण के लिये काम नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा में शिक्षा पर नोटिस जारी किये

नयी दिल्ली, 10 जनवरी। राजस्थान के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को राजस्थानी भाषा में देने के मामले में शिक्षा सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया हैं। पद्म मेहता नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें मेहता ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि राजस्थानी भाषा राजस्थान में 4 करोड़

- अदालत में पेश याचिका में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिलवाने की माँग की है।

से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है

याचिकाकर्ता ने कहा कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह प्रावधान है कि बच्चों को, जहां तक संभव हो, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। वहीं नई शिक्षा नीति 2020 में भी यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'ई-सिगरेट की बिक्री रोकने के लिये क्या कर रही है पुलिस?'

हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर इन मामलों की जाँच कर रहे अधिकारी को उपस्थित रहने के आदेश दिये

- याचिकाकर्ता प्रियांशा गुप्ता, जिसने 2022 में यह मामला दर्ज किया था और जब वो खुद वकालत पढ़ रही थीं और चौथे वर्ष की छात्रा थीं, ने कम-से-कम 13 वैबसाइटों का ब्यौरा दिया है, जहां ऑनलाइन ई-सिगरेट बिक रही हैं।
- इसके अलावा याचिकाकर्ता ने कई आर.टी.आई. लगाईं, यह जानने के लिये कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितनी शिकायतें व एफ.आई.आर. दर्ज की हैं, कितने चालान पेश किये हैं इत्यादि। परंतु पुलिस प्रशासन ने इसका कोई भी ब्यौरा नहीं दिया और कहा कि वे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इससे जाहिर होता है पुलिस ने कभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

जयपुर, 10 जनवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की ऑनलाइन बिक्री रोकने के उपायों पर असंतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही, अदालत ने पुलिस मुख्यालय को दो सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर बताने को कहा है कि ई-सिगरेट की बिक्री से संबंधित ऑन लाइन प्लेटफॉर्म के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। चीफ जस्टिस (सी.जे.) एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने ये आदेश प्रियांशा गुप्ता की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिकाकर्ताकर्ता प्रियांशा गुप्ता ने 2022 में यह मामला दर्ज किया था, तब वे खुद लॉ के चौथे वर्ष की छात्रा थीं, अब वे अधिवक्ता हैं। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि केन्द्र सरकार ने साल 2019 में कानून लाकर ई-सिगरेट के निर्माण, आयात, बेचान और वितरण पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद, प्रदेश में ई-सिगरेट आसानी से मिल रही है। कई जगह नाबालिग खुले आम इसका सेवन करते नजर आते हैं, जिससे साबित है कि राज्य सरकार कानून के क्रियान्वयन में फेल हो गई है। याचिका में गुहार की गई कि कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए जाएं।

याचिका में कहा गया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैण्डर्ड्स एक्ट-2006 के नियम कायदों के अनुसार भी, किसी भी वस्तु या खाद्य पदार्थ में तम्बाकू या निकोटिन का प्रयोग वर्जित है। पर ऑनलाइन ई- सिगरेट की बिक्री हो रही है और राज्य और पुलिस प्रशासन इसे रोकने में विफल हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह व्यापार इतना व्यवस्थित है कि गूगल पर ई-सिगरेट टाइप करते ही ऐसे कई वेबसाइट सामने आ जाती हैं, जो ऑनलाइन सिगरेट बेच रही होती हैं। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में ऐसी 13 वेबसाइटों का ब्यौरा भी दिया है, जो वर्तमान में कार्यरत हैं और ई-सिगरेट बेच रही हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि कई पान की दुकानों पर भी ई-सिगरेट मिलती हैं।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी बताया कि 2019 में ई-सिगरेट की बिक्री पर बैन लगने के बाद, आर.टी.आई. के तहत यह जानकारी इकट्ठी करनी चाही कि, पहला : 2019 के बाद अभी तक राजस्थान में इस मामले पर कितने मुकदमें दर्ज किये हैं, दूसरा : इस मामले पर कितनी शिकायतें और एफ.आई.आर. और कितने चालान पेश हुए हैं, तीसरा : इस अपराध जुड़े मामलों में कितने लोगों पर मामले अदालतों में चल रहे हैं, कितने लोग दोषी करार दिये जा चुके है और कितने लोग बरी कर दिये गये हैं, चौथा : 2019 के कानून को लागू करने के लिये प्रदेश में क्या नियम कायदे और नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रम्प पहले अमरीकी राष्ट्रपति जिन्हें औपचारिक सजा सुनाई गई

नई दिल्ली, 10 जनवरी। अमेरिका की मैनहट्टन कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने उन्हें बिना शर्त छोड़ दिया। दोषी होने के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप जेल और जुर्माना दोनों से बच गए।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

- पॉर्न स्टार को चुप कराने के लिए पैसे देने के मामले में अदालत ने ट्रम्प को दोषी माना, किन्तु कोई सजा नहीं दी और बिना शर्त रिहा कर दिया।

को हश मनी मामले में शुक्रवार को औपचारिक रूप से सजा सुनाई गई, हालांकि न्यायाधीश ने कोई भी सजा देने से इनकार कर दिया। इसकी वजह से ट्रंप अब जेल की सजा या जुर्माने के डर से

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अश्विन अब अपना क्रिकेटिंग करियर खत्म होने पर, तमिलनाडु की राजनीतिक पिच पर ''बोलिंग'' करेंगे?

चेन्नई में एक जाने-माने प्राइवेट कॉलेज के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए ''हिन्दी भाषा'' पर सारगर्भित टिप्पणी कर राजनीतिक हल्कों में तहलका मचा दिया

- उन्होंने अपने भाषण से पहले श्रोताओं से पूछा, क्या आप मुझसे हिन्दी में सवाल पूछना चाहते हो?
- श्रोताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पुनः अश्विन ने फिर पूछा, ''तो क्या आप मुझसे अंग्रेजी में प्रश्नों का उत्तर चाहेंगे।'' फिर भी श्रोताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अश्विन ने फिर पूछा, ''क्या आप तमिल में मुझसे अपने प्रश्नों का जवाब चाहेंगे'', श्रोता, यह सुनकर झूम उठे।
- जनता का मूड भांपकर अश्विन ने तमिल में अपना भाषण दिया।
- भाषण के बाद, अश्विन ने सारगर्भित टिप्पणी की, ''हिन्दी राष्ट्रीय भाषा नहीं, केवल ऑफिशियल भाषा है, कुछ सरकारी काम करने की भाषा है।''
- जैसा कि विदित ही है, ''हिन्दी भाषा'' दक्षिण भारत में एक भारी उत्तेजना व राजनीति का मुद्दा है।
- 1960 के हिन्दी विरोधी आंदोलनों के कारण, कांग्रेस पर आरोप लगा कि कांग्रेस हिन्दी थोपने का प्रयास कर रही है, अंततोगत्वा कांग्रेस सरकार गिरी और उसके बाद आज तक तमिलनाडु में सत्ता में नहीं आ पाई है।

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 जनवरी। क्रिकेटर आर. अश्विन, जिन्होंने हाल ही में टैस्ट क्रिकेट से सन्यास की घोषणा की है, ने राजनैतिक पिच पर एक अलग ही गुगली फेंकी और हिंदी भाषा की स्थिति पर अपना निजी तथ्यात्मक ऑब्ज़र्वेशन रखा।

सवाल यह है कि क्या अश्विन राज्य में राजनैतिक भविष्य तलाश रहे हैं। शायद नहीं, क्योंकि उनके करीबी लोगों ने इससे इन्कार किया है, पर हिंदी पर उनकी अप्रत्याशित टिप्पणी ने राजनैतिक हलकों का ध्यान खींचा है।

अश्विन की इस टिप्पणी ने कई हिंदी समर्थकों को भी आकर्षित किया है, जो हिंदी को राष्ट्र भाषा मानते हैं, पर सच्चाई यह है कि भारत में कोई राष्ट्र भाषा है ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी भाषा के मुद्दे पर विवाद हुआ था। पर जो लोग हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाना चाहते थे, उन्हें अंततः गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिणी राज्यों, के दबाव के आगे झुकना पड़ा।

क्रिकेटर अश्विन ने शुक्रवार को चेन्नई के एक प्राइवेट कॉलेज में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय यह पूछा कि क्या कोई स्टूडेंट उनसे हिंदी में सवाल पूछना चाहता है, फिर उन्होंने यही सवाल अंग्रेजी के लिए पूछा। दोनों बार पूरे कक्ष में शांति रही, फिर उन्होंने तमिल के लिए पूछा तो सभी ने एक साथ हाँ में जवाब दिया।

अपना भाषण शुरु करने से पहले अश्विन ने जानबूझकर यह चाल खेली। उन्होंने घोषणा की कि हिंदी राष्ट्र भाषा नहीं है। हिंदी के उल्लेख पर छात्रों की प्रतिक्रिया देखकर वे बोले, मुझे लगता है कि मुझे यह कहना चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा नहीं है, यह सरकारी भाषा है। हिंदी पर अश्विन की टिप्पणी से बहस छिड़ गई है।

तमिलनाडु, जहां 60 के दशक में भाषा विवाद ने उस समय तूल पकड़ा था, जब कांग्रेस नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी अनिवार्य कर दी थी, तब भारी आंदोलन शुरु हुआ

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कड़ाके की ठंड से धूजा उत्तर भारत

- दिल्ली एन.सी.आर. यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, भारी कोहरे से भी जूझ रहे हैं।

नई दिल्ली, 10 जनवरी। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में कोल्डवेव चलने से आम जनजीवन प्रभावित है। इसी बीच शुक्रवार को कोहरे की वजह से विज़िबिलिटी पर असर पड़ा। दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों में कोहरे का असर नज़र आया। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। ऐसे में ठंड के और बढ़ ने से इनकार नहीं किया जा सकता।

कड़ाके की सर्दी में कोहरे की दोहरी मार ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। दिल्ली में शुक्रवार सुबह घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई, जिससे हवाई और रेल परिचालन प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानें

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)